

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन,
केपिटल काम्प्लेक्स, नया रायपुर
अधिसूचना

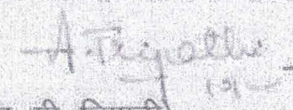
रायपुर, दिनांक : 10/2/2014

क्रमांक एफ 10-21/2014/वा.कर(आब.)/पांच (16.) - छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) तथा छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-6/2010/वा.कर(आब.)/पांच(7) दिनांक 03.02.2010 को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन एतद्वारा प्ररूप एफ.एल.9 (बोतल भरने की अनुज्ञप्ति) की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस निम्नांकित सारणी में दर्शाए अनुसार दिनांक 01 अप्रैल 2014 से विनिर्दिष्ट करती है :-

सारिणी

क्र.	अनुज्ञप्ति का प्रकार		वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस
1	2	3	
1	एफ.एल.9 अनुज्ञप्ति	बोतल भरने की अनुज्ञप्ति	रुपये 7,00,000/-

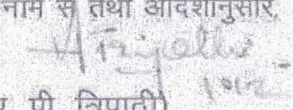
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


(ए. पी. त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव

रायपुर, दिनांक (10-2-2014)

क्रमांक एफ 10-21/2014/वा.कर (आब.)/पांच (16.) भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुकरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ /2014/वा.कर (आब.)/पांच (.....) दिनांक 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


(ए. पी. त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
Commercial Tax (Excise) Department
Mantralaya Mahanadi Bhavan,
Capital Complex, Naya Raipur

NOTIFICATION

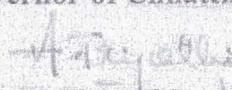
Raipur, dated 10-2-2014

10-217
No F..../2014/CT(Ex.)/V(16)- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) and proviso to sub-section (3) of section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No.II of 1915), and sub-rule (2) of Rule 8 of Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996 and in supersession of this Department Notification No.F-10-6/2010/C.T.(Ex.) /V(7), dated 03-02-2010, the State Government hereby prescribes the annual licence fee for F.L.9 (Bottling Licence) to be applicable from 1st April 2014 as per table given below:-

Table

S.No.	Kind of License		Annual License Fee
1	2		3
1	F.L.9 License	License for Bottling	Rupees 7,00,000/-

By Order and in the name of The Governor of Chhattisgarh


(A. P. Tripathi)
Joint Secretary